


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या- 882/2010.....जिला.....नागौर.....

उनवान- मैसर्स राजस्थान ट्रेडिंग कम्पनी, डेगाना, नागौर बनाम 1. उपायुक्त (अपील्स), अजमेर 2. सीटीओ, नागौर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20.06.2017	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री मदन लाल-सदस्य</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा द्वारा विद्वान बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी अभिभाषक ने वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित न्यू एमेनेस्टी स्कीम, 2017 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस अपील को विद्वान करने का निवेदन किया है, जिस पर उप-राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई को कोई ऐतराज नहीं है।</p> <p>अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील संख्या 882/2010/नागौर जरिये विद्वान खारिज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p>	